तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सूर्यप्रकाश रूदिया बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी ग्रामीण, जोधपुर)** सू.अ. अपील संख्या 63/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/07/2024	अपीलार्थी सूर्यप्रकाश रूदिया निवारी गांव रूदिया, तहसील भोपालगढ, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11. 03.2024 में राशन कार्ड 008479500078 व 200000292211 किस दिनांक को जारी किए गए, राशन कार्ड जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पद तथा अन्य बिन्दुओ से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी, ग्रामीण, जोधपुर) को प्रेषित किया गयां तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (जिला रसद अधिकारी ग्रामीण, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (जिला रसद अधिकारी ग्रामीण, जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 612 दिनांक 15.05.2024 को बतलाया कि प्रार्थी के आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत विकास अधिकारी, भोपालगढ़ को पत्रांक 2021 दिनांक 22.03.2024 द्वारा स्थानांतरित/अंतरित कर दिया तथा जिसकी सूचना प्रार्थी को पत्रांक 2023 दिनांक 22.03.2024 द्वारा प्रेषित की गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी ग्रामीण, जोधपुर) के स्तर से सूचना अपेक्षित नही होकर विकास अधिकारी भोपालगढ़ के स्तर पर लंबित है। प्रार्थी विकास अधिकारी के सूचना नही दिये जाने की स्थिति में उनके संबंधित प्रथम अपील अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर ग्रामीण जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) राज.	